न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

न्यायालीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 30/2017

नजाब अली आयु 55 वर्ष पुत्र आलम अली खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला–सीकर राज.

वादी

बनाम

1. आलम अली खां पुत्र रहीम खां
2. लियाकत अली आयु 60 वर्ष पुत्र आलम अली खां
3. युनूस अली आयु 57 वर्ष पुत्र आलम अली खां
4. अरशद अली आयु 50 वर्ष पुत्र आलम अली खां
5. अनवर अली आयु 46 वर्ष पुत्र आलम अली खां
   समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला–सीकर राज.
6. पटवार हल्का भींचरी तहसील फतेहपुर जिला–सीकर
7. उपपंजीयक फतेहपुर जिला – सीकर राज.
8. तहसीलदार फतेहपुर जिला – सीकर राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री दिनेश शर्मा – वादी
श्री भीम सिंह – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 16.04.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दि. हेतु पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत आवेदन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 2.64 है0, खसरा नंबर 210 रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम भगासरां तहसील फतेहपुर व खसरा नंबर 20 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 21 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 22 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 23 रकबा 3.47 है0 वाके ग्राम आलमास के सम्पूर्ण रकबों तथा खसरा नंबर 83 रकबा 0.010 है0, खसरा नंबर 84 रकबा 6.63 है0 वाके ग्राम आलमास के 1/4 हिस्सा का एकान्तिक काबिज काश्तकार प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 आलम अली खां है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कायमखानी मुसलमान होकर मुसलमान धर्म के अनुयायी है और उपर मुस्लिम पर्सनल विधि लागू होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 आलम अली के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियों में कोई हक हिस्सा व कब्जा हासिल नहीं हो सकता है और ना वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ उनके जीवनकाल में कोई वाद लॉ सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कॉपार्सनरी व पैत्रिक भूमि संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। वादी ने यह दावा विधि विरुद्ध पेश किया है जो विधि विरुद्ध होकर संधार्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि वादी का यह वाद आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दि. के अंतर्गत खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद पेश नहीं किया । वादी की जवाब देही बंद की गयी । प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी। वादी की ओर से गत तीन चार पेशी से बहस हेतु वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के आदेश दिनांकित 15.02.2017, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश 7 नियम 11(डी) की प्रतिलिपि पेश की। प्रतिवादी संख्या 1 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश 7 नियम 11(डी) के अनुसार मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति की धारणा पाने का हकदार नहीं है।

अतः प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा. दि. के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)